प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 (2) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य के राज्यपाल महोदय को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

अध्याय-1 एवं अध्याय-2 में राज्य सरकार के 31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के क्रमश: वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे की जाँच से उत्पन्न प्रकरणों पर की गई लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ सम्मिलित हैं।

अध्याय-3 वित्तीय प्रतिवेदन कार्य पर चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा विभिन्न वित्तीय नियमों, कार्यविधियों एवं निर्देशनों के अनुपालन का विहंगावलोकन तथा स्थिति प्रस्तुत करता है।

विभिन्न विभागों में की गई निष्पादन लेखापरीक्षा एवं लेनदेन- की लेखापरीक्षा एवं सांविधिक निगमों, परिषदों एवं सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा से उत्पन्न प्रकरणों पर लेखापरीक्षा अभियुक्तियाँ एवं राजस्व प्राप्तियों से संबंधित अभियुक्तियों को पृथक प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया है।